प्र.सं. 12/25 भेरूलाल बनाम दिलीप कुमार मून्दडा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आयड़ में खतौनी संख्या 528 की आराजी नंबर 1500 रकबा 0.2400 हैक्टर, खतौनी संख्या 529 की आराजी नंबर 1497, 1498, 1499, 1501, 1503, 1504, 1506 कुल किता 7 रकबा 1.3150 हैक्टर एवं खतौनी संख्या 530 की आराजी नंबर 1502 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मौके पर पक्षकारान आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु कानूनी बंटवारा नहीं होने से मौके पर अनावश्यक विवाद होता है। अतः वाद वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 तथा 5 से 11 की ओर से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने ने उनके जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) प्रस्तुत कर नगर विकास प्रन्यास को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर व्यवसायिक दुकाने व गोदाम बनाये जाकर भूमि का स्वरूप परिवर्तत किया गया है। बगैर निर्माण को ध्वस्त कराये भूमि का विधिवत विभाजन किया जाना संभव नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त काउण्टर क्लेम का जवाब वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 5 से 11 की ओर से प्रस्तुत किया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.05.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 15.01.2025 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव बारबर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 तथा 7 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील कोठारी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है। मिथ्या विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार ने हस्ताक्षर किये हैं, जो कूटरचित की परिभाषा में आता है। विभाजन में वीादगण के हिस्से में उनकी पूरी भूमि रख दी गयी है, जबकि रास्ते व कुंए का क्षेत्रफल उनके हिस्से में कम करना था। वाणिज्यिक महत्व की भूमि का सभी पक्षकारों के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना था, जो नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री की वैद्यता की चुनौती के मामले में राजस्व अपील अधिकारी, राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय में चली प्रोसिडिंग्स को आधार बनाकर अंतिम डिक्री में तय किये जाने वाले बिन्दुओं को तय नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गय है। विभाजन में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई सहमति नहीं दी गयी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है। भैरूलाल, पुष्पा व नोजीबाई के बीच बंटवारा नहीं किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा कोई मांग नहीं की गयी है। वरजूबाई का शेयर कम हो रहा है, जिसमें से किशनलाल को हिस्सा दिया गया है। अपीलान्ट भेरूलाल नोटिस तामिल के बावजूद मौके पर नहीं आये। बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है इसलिए उसकी सहमति नहीं मानी जा सकती तथा पक्षकारान के हिस्से में भूमि भी उनके दर्ज हिस्से अनुसार नहीं रखी गयी है एवं अपीलान्ट की भूमि को शामिल में रखा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 06/2024 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2025 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार प्रकरण में विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested